29/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 225 RT Act के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर के आदेश दि. 20.3.17 तहसीलदार बाड़मेर बनाम सरकार के विरुद्ध पेश की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे इसलिए वे अंतर्गत धारा 96 CPC के आवेदन बाबत अपील अनुमति सहित आए हैं।

अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र की पालना में राजकीय भूमि में चालू कीर्ति रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के संबंध में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर ने पारित किया है। आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि आदेश सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर की हैसियत में राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कोई आदेश नहीं है बल्कि आदेश भू राजस्व अधि० के तहत सहायक भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत में राजकीय भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराज करने के उद्देश्य से पारित किया है जिसकी अपील न्यायालय हाजा द्वारा नहीं सुनी जा सकती। इसकी पुष्टि वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण सं. 126/2014 कलेक्टर बाड़मेर बनाम राज० राज्य बाड़मेर राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act, जिसमें इसी प्रकार के विषय में पारित किसी अन्य आदेश को चुनौती दी जाकर हेतु अपील प्रस्तुत हुई है। हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में इस संबंध में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र हैं। हस्तगत अपील क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner